

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
 (श्रमायुक्त का कार्यालय, श्रम भवन, डोरण्डा-राँची, ईमेल-labcomjhr@gmail.com)

आम सूचना

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-02/MW-2071/2010 (भाग-3) श्र0नि0-742 राँची, दिनांक-25.05.2026 के अनुसार सभी नियोजनों में दिनांक-01.04.2026 से प्रभावी परिवर्तनशील मँहगाई भत्ता (VDA) सहित दैनिक एवं मासिक न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार हैं :-

श्रेणी	श्रेणी के तहत आने वाले क्षेत्र	न्यूनतम मजदूरी परिवर्तनशील मँहगाई भत्ता (MW Basic Rate + VDA) सहित (रूपये में) दैनिक				न्यूनतम मजदूरी परिवर्तनशील मँहगाई भत्ता (MW Basic Rate + VDA) सहित (रूपये में) मासिक			
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल व लिपिकीय	अतिकुशल	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल व लिपिकीय	अतिकुशल
A	राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र।	515	540	712	821	13385	14043	18504	21336
B	"A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद् व नगर पंचायत)	491	515	679	783	12756	13385	17646	20363
C	राज्य के अन्य क्षेत्र (A और B को छोड़कर)	468	491	647	746	12155	12756	16817	19391

नोट- न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें एवं परिवर्तनशील मँहगाई भत्ता संबंधी अधिसूचना विभागीय पोर्टल Shramadhan.jharkhand.gov.in में देखा जा सकता है।

प्रदीप रोबर्ट लकड़ा,
निदेशक,
न्यतम मजदूरी, झारखण्ड।